

# Association of Tax Payers & Professional

(National Forum)

**Head Office : 10, Agrawal Complex, Sewla Jaat, Agra 282001**

**Chairman**  
Adv Anajni K Srivastava  
Lucknow  
Mob. 9519044488  
9415016722

**Co-Chairman**  
Adv Santosh K Gupta  
Kanpur  
Mob. 9415042908  
6387735261

**Treasurer**  
Adv Sandeep Bansal  
Firozabad  
Mob. 9927443185  
7017485925

**General Secretary**  
Parag Singhal  
Agra  
Mob. 9410664214  
9837997666

**State President UP**

Adv Pramod Raje  
Sultanpur

Mob. 9415610135

**State President Rajasthan**

Adv Vinod Patni  
Jaipur

Mob. 9414778901

**State President Chhattishgarh**

Adv Alok Agrawal  
Raipur

Mob. 9826901522

**State Coordinator (Gujrat)**

Adv Mohd Aslam Menan  
Palanpur (Gujrat)

Mob. 9173044768

**(Chhattisgarh)**

Adv Suresh Shukla  
Bilaspur

Mob. 9425227093

**Study Circle, Rajasthan**

State Chairman  
Adv Vikram Gogra  
Jaipur

Mob. 9829060406

**Study Circle, UP**

Adv (Mrs) Ruchi Agrawal  
Agra

Mob. 8126631076

**Jt. Secretary**

Adv Sandeep K Singh  
Hardoi

Mob. 9935076266

**Akhilesh Agnihotri**

Chhatarpur  
Mob. 9630187287

**Executive Member(s)**

Adv Ram Babu Vijay  
Jaipur

Mob. 9829019633

**Adv Karnesh K Sharma**

Roorkee  
Mob. 7060008150

**Adv Brahma Kumar**

Gopalganj (Bihar)  
Mob. 9852327477

**Adv Yasin Menan**

Palanpur (Guj)  
Mob. 9510553382

**Adv Manish Sarraf**

Damoh (MP)  
Mob. 7999198889

दिनांक 15.12.2020

माननीय वित्तमंत्री जी,  
भारत सरकार,  
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदया,

सम्पूर्ण देश में कोरोना के चलते देशभर में लगे लॉकडाउन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश के करदाताओं के साथ टैक्स प्रोफेशनल्स की स्थिति के प्रति गंभीरता प्रदर्शित करते हुए जीएसटी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्नस् के साथ आयकर के वर्ष 2018-19 (कर निर्धारण वर्ष 2019-20) के आई.टी.आर. को दाखिल करने में भरपूर सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित तिथियों को आगे बढ़ाया। भारत सरकार के इस सहयोग के प्रति सम्पूर्ण करदाता एवं टैक्स प्रोफेशनल्स दिल से आभार व्यक्त करते हैं।

चूंकि अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र 3 मात्र शेष रह गये हैं। अतः इस 3 माह के बचे समय में वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के सभी वार्षिक रिटर्नस् (जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए एवं जीएसटीआर-9सी) के साथ प्रत्यक्ष कर आयकर के वर्ष 2018-19 (कर निर्धारण वर्ष 2019-20) के आई.टी.आर. दाखिल करने हैं। निश्चितरूप से प्रत्येक करदाता अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति गंभीर है और दिल से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तत्पर है।


परन्तु इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने में हम करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स की ओर से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार को इस बिन्दु पर विचार करते हुए ऐसा सकारात्मक निर्णय लेकर अंतिम राहत प्रदान कर देनी चाहिए कि रिटर्न दाखिल करने के कारण व्यापार का नुकसान न हो के साथ टैक्स प्रोफेशनल्स तनाव में न आये। सरकार को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि बड़े करदाताओं के पास इन टैक्स सम्बन्धित औपचारिकता पूर्ण करने के समुचित स्टॉफ उपलब्ध होता है जबकि मध्यम एवं छोटे करदाताओं को स्वयं कार्य निपटाने होते हैं।

इस बारे में हम कहना चाहते हैं सरकार को चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के बचे जीएसटी एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था इन 3 माहों में बांट दी जाए ताकि सरकार को मिलने वाला राजस्व प्रभावित न हो और प्रत्यक्ष कर प्रणाली (आयकर) के साथ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली (जीएसटी) की औपचारिकताएं भी पूर्ण हो जाएं।

अतः हमारा सुझाव है कि दिसम्बर माह में वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने के छोड़ दी जाए जबकि अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 को दाखिल करने के लिए 31 जनवरी 21 और जीएसटीआर-9ए के साथ आर-9सी को दाखिल करने के लिए 31 मार्च 2021 आंशिक कर दिया जाए। यदि इस प्रकार प्रत्येक माह रिटर्न दाखिल करने के लिए बांट दिया जाते हैं तो निश्चितरूप से करदाताओं के साथ टैक्स प्रोफेशनल्स को राहत मिलेगी। साथ ही करदाताओं के व्यापार भी प्रभावित नहीं होंगे और सरकार को भरपूर राजस्व भी प्राप्त होता रहेगा।

हमको विश्वास है कि आप हमारे द्वारा प्रस्तुत सुझावाओं पर विचार अवश्य ही करेंगी।

धन्यवाद,



(पराग सिंहल)

राष्ट्रीय महासचिव